कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक क्यू/2020 Q 14/5-1/2020 उज्जैन, दिनांक ....मई, 2020

प्रति,

समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
जिला न्यायालय, उज्जैन/ खाचरौद / नागदा/ बड़नगर/ तराना/ महिदपुर।

विषय :– **न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश की सत्यप्रतिलिपि की सॉफ्टकॉपी संबंधित अभिभाषक को प्रदाय किए जाने बाबत् एवं अधिवक्ताओं द्वारा ई–मेल किए जा रहे आवेदन के संबंध में।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में कोराना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला न्यायालय उज्जैन में दिनांक 17.05.2020 तक अकार्य दिवस घोषित किया गया है। जिसके फलस्वरूप सामान्य कामकाज न्यायालय परिसर में नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता के द्वारा लगाए गए अत्यावश्यक प्रकरणों में पारित आदेशों/निर्णय की सत्यप्रतिलिपि की सॉफ्टकॉपी संबंधित न्यायालय द्वारा वॉट्सअप या ई–मेल के माध्यम से संबंधित अधिवक्ता को प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही अधिवक्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि अत्यावश्यक मामलों के संबंध में जो भी आवेदन ई–मेल के माध्यम से भेजते है वह पीडीएफ फॉरमेट में भेजे जावे। जिससे कि उक्त आवेदनों को स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक क्यू/2020 उज्जैन, दिनांक ....मई, 2020

प्रतिलिपि –

अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/ महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)